राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302004

Website www.uniraj.ac.in

क्रमांकः– लेखा एवं वित्त/2024/3168 – 3267 दिनांकः-- 13/02/2024

1. कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, शैक्षणिक विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. समस्त प्राचार्य, संघटक महाविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
4. उपनिदेशक, आई.टी. सेल, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. समस्त निदेशक, पी.जी. स्कूल्स/केन्द्रीय पुस्तकालय/पोद्दार प्रबन्ध संस्थान।
6. मुख्य कुलानुशासक/ अधिष्ठाता, छात्र कल्याण कार्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
7. मुख्य आवासाधिकारी (छात्र/छात्रा), राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
8. विश्वविद्यालय अभियन्ता/प्रभारी उद्यान/प्रभारी अतिथि गृह, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
9. परीक्षा नियन्त्रक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
10. जनसम्पर्क अधिकारी, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
11. समस्त उप कुल सचिव/सहायक कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
12. विधि परामर्शी/विधि सहायक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

परिपत्र

विषय :–राजस्थान विश्वविद्यालय के कार्मिकों के राज्य बीमा पॉलिसी एवं प्रावधायी निधि(जी.पी.एफ.) के खातों में आ रही त्रुटियों तथा अन्य समस्याओं की जानकारी भिजवाये जाने बाबत्।

राजस्थान विश्वविद्यालय के आई.टी. सेल द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता के संज्ञान में लाया गया है कि विश्वविद्यालय के कार्मिकों के राज्य बीमा पॉलिसी एवं प्रावधायी निधि (जी.पी.एफ.) के खातों में त्रुटिया है तथा कार्मिकों को अन्य विभिन्न प्रकार की समस्याऐं राज्य बीमा पॉलिसी एवं प्रावधाय निधि (जी.पी.एफ.) के खातों में आ रही है।

कार्मिको के बीमा पॉलिसी बॉन्ड प्रथम घोषणा–पत्र भरने के बावजूद जारी नही हो पा रहे है, उनके जी.पी.एफ. एवं बीमा पॉलिसी की राशि सही नहीं दिखाई दे रही है, जी.पी.एफ. एवं राज्य बीमा के पेटे जिस माह से वेतन में से कटौती करके राज्य बीमा पॉलिसी एवं प्रावधायी निधि विभाग को विश्वविद्यालय द्वारा भिजवाया गया है उस माह के स्थान पर उसके बाद वाले माह से कटौती राशि दर्शाई जा रही है आदि समस्याए संज्ञान में लाई गयी है।

अतः ऐसे समस्त कार्मिक जिनको राज्य बीमा एवं जी.पी.एफ. खातों से संबंधित समस्याऐं है उन सभी का एक साथ समाधान राज्य बीमा एवं प्रावधायो निधि विभाग से करवाये जाने के लिए संबंधित कार्मिकों की जानकारी प्राप्त की जानी है अतः आप अपने अधीनस्थ कार्यरत ऐसे कामिक जिनको राज्य बीमा एवं जी.पी.एफ. के खातों में समस्या का सामना करना पड़ रहा है उनकी जानकारी संलग्न प्रारूप मे भर कर (Excel Sheet में) दिनांक 20.02.2024 तक आवश्यकरूप से अधोहस्ताक्षरकर्ता को जरिये ई–मेल:– accountsuorjaipur@yohoo.in, vasu_prog@yahoo.com/डाक भिजवाया जाना सुनिश्चित करें ताकि कार्मिकों की समस्या का समाधान शीघ्रता से करवाया जा सके।

रामसुख कालोलिया

(वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार)

क्रमांकः– प्रेरणा एवं बेल |2024| 3268-3270 दिनांकः– 13/02/24

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीया कुलपति महोदया, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
2. ~~रक्षित पत्रावली।~~ Director, Infonet For uploading of Circular on R.U. website
3. Guard File.

08.02.24
(वासुदेव)
उपनिदेशक
आई.टी. सेल

Format for GPF & S.I. Account Grievances

Sr No.	Name of Employee	Designation	Posting Department	SSO ID	Employee ID	GPF No.	~~Mobile No~~ MOBILE No.	S.I. POLICY ~~[illegible]~~ No.	Whether First Declaration Form for S.I. Submitted or Not (Y/N)	Problem Reported by Employee for GPF Accounts	Problem Reported by Employee for SI
1					RSAB						
2					RSAB						
3					RSAB						
4					RSAB						
5					RSAB						
6					RSAB						
7					RSAB						
8					RSAB						
9					RSAB						
10					RSAB						
11					RSAB						
12					RSAB						
13					RSAB						
14					RSAB						
15					RSAB						
16					RSAB						
17					RSAB						
18					RSAB						
19					RSAB						
20					RSAB						